<u>न्यायालय:— अमूल मण्डलोई न्यायिक मजिस्टै्ट प्रथम श्रैणी अंजड़,</u> <u>जिला बड़वानी</u> (म0प्र0)

फौज0प्र0क. 104/18

 म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़ जिला–बडवानी म.प्र.

——अभियोजन

विरुद्ध

 अरविंद पिता दयाराम बारेला, उम्र 25 वर्ष, निवासी सोसाड मोहल्ला अंजड, जिला बडवानी

----अभियुक्त

निर्णय (आज दिनांक 26/04/2018 को घोषित किया गया)

- 01. अभियुक्त अरविंद पर धारा 34 (1) (क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 23.03.2018 को शाम 06:30 बजे के लगभग हिरदाराम के घर के सामने, ग्राम आंवली में 10 लीटर कच्ची महुँआ शराब अपने आधिपत्य में रखी, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था।
- **02.** प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त अरविंद ने अभियोजित अपराध को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया है।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.03. 03. 2018 को थाना अंजड़ पर पदस्थ प्रधान आरक्षक कैलाश चौहान को कस्बा भ्रमण के दौरान आवली घाट पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद झोले में अवैध कच्ची मह्आ शराब बेचने हेत् आंवली गांव तरफ लेकर जा रहा है। सूचना पर विश्वास करते हुए पंचान हिरदाराम व मोहन को तलब कर मुखबीर सूचना से अवगत कराया व मुखबीर के बताये स्थान आंवली गांव तरफ पहुंचा जहां हिरदाराम के घर के सामने से एक व्यक्ति को पकडा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अरविन्द पिता दयाराम बारेला बताया। अरविन्द के कब्जे से एक सफेद रंग का झोला जिसमें काले ट्यूब में करीबन 10 लीटर कच्ची महंआ शराब पाई गई। उससे शराब का लाईसेंस पूछे जाने पर लाईसेंस नहीं होना बताया। उसका उक्त कृत्य धारा 34 आबकारी अधिनियम का होने से 10 लीटर कच्ची मह्आ शराब जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अभियुक्त अरविंद के विरूद्ध थाने का अपराध क 126/18 अंतर्गत धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया।

- **04.** अभियुक्त अरविंद ने इस निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित सभी आरोपो को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया गया।
- 05. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है-

क्या अभियुक्त अरविंद पिता दयाराम बारेला ने दिनांक 23. 03.2018 को शाम 06:30 बजे के लगभग हिरदाराम के घर के सामने, ग्राम आंवली में 10 लीटर कच्ची महुँआ शराब अपने आधिपत्य में रखी, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था?

सकारण निष्कर्ष

- 6— अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्त ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उसने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के द्वारा धारा 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उसे धारा 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
- 7— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में अभियुक्त को 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/— रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकृम में अभियुक्त को 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।
- **08.** प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर कच्ची महुँआ शराब अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में सम्पत्ति का निराकरण अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया

(अमूल मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) (अमूल मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)